फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा

बनाम

मिस्ल मुकदमा धारा 212 रा0काश्त0अ0 1955 नम्बर 239 सन 2017

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 23.04.2018 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित बहस प्रार्थना प्रत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0काश्त0अ0 सुनी गई । वकिल प्रार्थी गण का कथन हे कि राजस्व ग्राम बैगाली में स्थित आराजी नं 3505 से 3511 प्रार्थीगण के हक की अराजियात है उक्त आराजी के पूर्व दिशा की और चाह आराजी संख्या 3501 स्थित है उक्त चाह आराजी से प्रार्थी गण की आराजी पीवल होती है उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में विपक्षी की आरजी 3781/3501 स्थित है उक्त आराजी चाह पर प्रार्थीगण के पति/पिता के नाम पर विद्युत कनेक्शन है प्रार्थीगण चाह आराजी संख्या 3501 पर स्थित रास्ते से होकर चाह पर तथा अन्य आराजी पर आते जाते है विपक्षी ताकत के बल पर उक्त चाह आराजी का उपयोग उपभोग करने मे व्यवधान उत्पन्न करता है इस कारण विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे की उसके द्वारा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आराजी संख्या 3501 चाह के उपयोग में बाधा उत्पन्न ना करे एवं आराजीयात में आने जाने वाले रास्ते पर पक्का निर्माण नही करे।<br>वकील विपक्षी का कथन है कि चाह आराजी संख्या 3501,3781/3501 एक मात्र विपक्षी के खातेदारी हक अधिकार आधीपत्य की है उक्त चाह आराजी संख्या 3501,3781/3501 पर प्रार्थी गण का कोई हक अधिकार नही है। उक्त चाह आराजी संख्या 3501,3781/3501 एक मात्र विपक्षी के कब्जे खातेदारी हक अधिकारी व स्वामित्व की है तथा जहां तक रास्ते बाबत् कथन है कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3510 में आवागमन हेतु रास्ता आराजी सख्या 3505 एवं 3509 से होते हुए जाता है प्रार्थीगण ने विपक्षी को जलिल एवं परेशान करने की नियत से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो खारीज करने योग्य है साथ ही यह विपक्षी द्वारा यह कथन भी किया की प्रार्थीगण ने बिना वादपत्र पेश किये ही यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हे जो चलने योग्य नही है साथ ही यह भी कथन किया की खातेदार कास्तकार एवं कब्जेधारी के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती है तथा विपक्षी के हक में न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 03.09.2010 की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया जिसके अनुसार प्रार्थीगण को न्यायालय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है।<br>उभय पक्ष की और से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र,जवाब एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आराजी संख्या 3501,3781/3501 विपक्षी के खातेदारी हक अधिकारी की है जिसे प्रार्थीगण स्वीकार करते है ऐसी स्थिती में कानूनन खातेदार कास्तकार एवं कब्जेधारी के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है ऐसी स्थिती में प्राथीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है तथा न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है विपक्षी के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षी को अपुर्णीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0का0अधि0 अस्विकार कर खारिज होने योग्य है<br>आदेश<br>प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0का0अधि0 अस्विकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।<br>उपखंड अधिकारी पदेन<br>सहायक कलक्टर करेड़ा | |

Scanned by CamScanner